COVID-19
URGENT

राजस्थान सरकार

**कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर**

क्रमांक : प. 35( )( )आ.प्र. एवं सहा./covid-19/1603 दिनांक :08/04/2020

## आदेश

कोरोना वायरस (Covid -19) से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जनहित एवं मानव जाति की सुरक्षा की दृष्टि से लिये गये निर्णय के अन्तर्गत जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सभी राजकीय/अनुदानित आवासीय छात्रावासों एवं राजकीय आवासीय विद्यालय जिनको की बंद किये जाने के फलस्वरूप ऐसे छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में मौजूद राशन सामग्री आगामी दिनों में खराब होने की प्रबल संभावनाओं को मददेनजर रखते हुए यथोचित उपयोग लिया जाना है।

अतः इस सन्दर्भ में विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में जिले के समस्त विद्यालय जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे है में उपलब्ध खाद्यान्न सामग्री का पूर्ण विवरण सहित उसकी रिपोर्ट उपलब्ध करवाने हेतु श्री मुखराम चौधरी सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर को प्रभारी नियुक्त किया जाता है।

श्री चौधरी को निर्देशित किया जाता है कि वे जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित समस्त राजकीय/अनुदानित आवासीय छात्रावासों एवं राजकीय आवासीय विद्यालय में मौजूद खाद्यान्न सामग्री का पूर्ण विवरण सहित सामग्री वार सुचीबद्व करते हुए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को सुपर्द करते हुए पालना से करवाया जाना सुनिश्चित करें, तत्पश्चात् आवश्यकता अनुरूप उस सामग्री का यथोचित उपयोग कोरोना वायरस (Covid -19) की रोकथाम हेतु तैयार किये गये आइसोलेशन वार्ड, क्वारेनटाईन सेंटर इत्यादि के काम में ली जा सके।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर
आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( )( )आ.प्र. एवं सहा./covid-19/1604-20 दिनांक :08/04/2020

**प्रतिलिपि :- निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित है :-**

01. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
02. उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर/रामसर/बायतु/शिव/सिवाना/चौहटन/बालोतरा/गुडामालानी/सेड़वा/सिणधरी/धोरीमन्ना
03. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर।
04. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बाड़मेर।
05. छात्रावास अधीक्षक, राजकीय छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय..................................
06. संबंधित श्री मुखराम, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर को पालनार्थ ।
07. रक्षित पत्रावली ।

जिला कलक्टर
आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

covid-19/c3/2020